दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति
पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पांचवा तल, आईएसबीटी बिल्डिंग,कश्मीरी गेट, दिल्ली-06
हमसे संपर्क करें: http://dpcc.delhigovt.nic.in

धूल से वायु प्रदूषण

धूल से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए निर्माण स्थलों पर उठाए जाने वाले जरूरी कदम

निर्माण स्थलों पर कार्यरत सभी कर्मचारी एवं श्रमिक ध्यान दें:

1. निर्माण स्थल के चारों ओर उचित ऊंचाई की दीवारों/चादरों का लगा होना आवश्यक है जिससे कि हवा के प्रवाह से धूल बाहर न जाए।
2. एंटी स्मॉग गन प्रयोग में लाना आवश्यक है जहां पर भी 5000 वर्ग मीटर से ऊपर का कंस्ट्रक्शन एरिया है।
3. निर्माणाधीन क्षेत्र और बिल्डिंग के चारों ओर लगी हुई स्कैफोल्डिंग पर तिरपाल या ग्रीन नेट का होना आवश्यक है जिससे कि कार्य स्थल की धूल बाहर न उड़े।
4. निर्माण सामग्री या निर्माण मलबे को ले जाने वाले सभी वाहनों को साफ करना आवश्यक है और उनके पहियों को निर्माण स्थल छोड़ने से पूर्व धोया जाना चाहिए जिससे निर्माण स्थल की धूल बाहर न जाए।
5. निर्माण सामग्री और मलबा ले जाने वाले सभी वाहन पूरी तरह से ढके जाने चाहिए जिससे कि धूल वायुमंडल में न जाए।
6. निर्माण कार्य से संबंधित मलबा एवं सामग्री को सार्वजनिक सड़कों या फुटपाथों पर नहीं फेंका जाना चाहिए और उनको प्रोजेक्ट की साइट पर ही ध्यान पूर्वक स्टोर किया जाना चाहिए।
7. कोई भी ढीली मिट्टी या रेत या निर्माण सामग्री या मलबा जो कि धूल का कारण बन सके, उसे खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ग्रीन नेट या तिरपाल से ढक कर रखें।
8. निर्माण सामग्री की ग्राइंडिंग एवं कटिंग खुले स्थानों पर नहीं करनी है और पत्थर तथा मार्बल कटिंग के समय पानी के जेट का इस्तेमाल करना है।
9. धूल को दबाने के लिए कच्ची सतहों और ढीली मिट्टी वाले क्षेत्रों पर पर्याप्त रूप से पानी का छिड़काव निरंतर करना है।
10. बड़े निर्माण स्थलों (20000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले) पर या उन तक जाने के लिए वाहनों द्वारा पक्की सड़कों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कि धूल का उड़ना कम हो।
11. निर्माण कार्य या निर्माण को तोड़ने से उत्पन्न हुए मलबे को निर्माण स्थल पर ही उनका पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए अथवा इसको उन्हें पुनः प्रयोग में लाने के लिए अधिकृत स्थान पर भेजा जाना चाहिए।
12. निर्माण स्थल पर काम करने वाले कर्मचारी जो कि निर्माण सामग्री और निर्माण के मलबे की लोडिंग अनलोडिंग में कार्यरत हैं, डस्ट मास्क का प्रयोग करें।
13. निर्माण कार्य में और धूल पैदा करने वाली निर्माण सामग्री और मलबे को लाने ले जाने में शामिल श्रमिक चिकित्सा जांच और उपचार की व्यवस्था को ध्यान में रखें।
14. निर्माण स्थल पर धूल कम करने के उपायों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना निर्माण स्थल के प्रबंधकों/इंचार्ज की जिम्मेवारी है। इन सभी उपायों को ध्यान से पढ़ें एवं सुनिश्चित करें।

कार्य शुरू करने से पूर्व उपरोक्त धूल रोकने के उपायों का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है।

निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारी एवं श्रमिक ऊपर बताए गए सभी बिंदुओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें जिससे कि निर्माण स्थल के इंचार्ज एवं प्रबंधक धूल को नियंत्रित करने के सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।